न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 08/2024 बउनवानी रईस मोहम्मद मंसूरी बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला0कलेक्टर स0मा
अध्यक्षता, एकता ऑटो रिक्शा यूनियन सवाईमाधोपुर **GCMS No-2024/22**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.3.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 29.12.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. दिनांक 22.12.2023 को ई–रिक्शा के मार्ग एवं संख्या निर्धारित करवाने एवं अवैध ई–रिक्शो के संचालन पर प्रतिबंध करवाने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की सूचना।
2. सवाईमाधोपुर में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीकृत ई–रिक्शोकी संख्या एवं निर्धारित किये गये मार्गो की सूचना उपलब्ध करावे।
3. सवाईमाधोपुर संचालित बिना पंजीकृत ई–रिक्शो की संख्या की सूचना उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक:एफ.13(1)(01)सूकाअ/2024/207 दिनांक 26.2.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.2024 के बिन्दु संख्या 1,2,3 मे से बिन्दु संख्या 1 की सूचना प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग के पत्रांक 95 दिनांक 4.1.2024 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर को प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 1 की कुल 3 पृष्ठो की सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक एफ.13(1)(01)/सूकाअ/2024/20 दिनांक 5.1.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि उक्त बिन्दुओं की सूचना पुलिस विभाग एवं जिला परिवहन विभाग से संबंधित होने के कारण उक्त बिन्दुओं की सूचना इस कार्यालय से उपलब्ध नही करवायी जा सकती है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 29.11.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना (कुल 3 पृष्ठो) की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है शेष बिन्दु संख्या 2,3 [illegible] को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि शेष बिन्दुओ की सूचना [illegible] परिवहन विभाग सवाईमाधोपुर से प्राप्त करे। चूंकि कार्यालय हाजा [illegible] उपलब्ध हो चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:29:55 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner